

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं0 35 /2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर, 2017

सारांश (अ)- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 5% में,-

- (i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “0802, 0813”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए”;
---------	------	-------------------------

- (iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी ”;
---------	--------------	----------------------------

- (iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

“101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के
----------	---------	---

	<p>अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और-</p> <p>(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या</p> <p>(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो];</p>
--	---

- (v) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “
- “(क) केरोसिन ऑइल पीडीएस,
- (ख) जहाज़ों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूल्स अर्थात् :
- i. आईएफओ 180 सीएसटी
 - ii. आईएफओ 380 सीएसटी”
- को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“181 (क)	30	औषधि द्रव्य (जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि-द्रव्य भी हैं) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप से, यथास्थिति, औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या
----------	----	---

		यूनाइड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज संग्रहों में यथा-विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।”;
--	--	---

(vii) क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“187 (क)	3915	प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्कैप्स”;
----------	------	---

(viii) क्रम संख्या 188 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“188(क)	4004 00 00	रबर के वेस्ट पेयरिंग्स एंड स्कैप्स (हार्ड रबर से भिन्न)”;
---------	------------	---

(ix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“191 क	4017	हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्कैप”
--------	------	-------------------------------

(x) क्रम संख्या 198क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“198 ख	4707	पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्कैप”
--------	------	--

(xi) क्रम संख्या 201क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“218क	5605 0010	रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड , जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो ”
-------	-----------	---

- (xiii) क्रम सं. 219 में, कॉलम (2) में अंक "5705" के स्थान पर "5702, 5703, 5705" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
- (xiv) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"228क	7001	रत्नास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रैप" ;
-------	------	---

- (xv) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"234क	84 या 85	ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मैंजर्मेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सार्वकानिक नियम 0338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पर्य जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं";
-------	----------	---

- (xvi) क्रम संख्या 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"264	कोई अध्याय	बायोमॉस ब्रिक्वेट्स"
------	------------	----------------------

(ख) अनुसूची II-12% में, -

- (i) क्रम सं. 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरुद, आम और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरुद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 17 में, कॉलम (3) में, शब्द और अंक "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]" , के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाड़ा) चाहे ये छिल्का युक्त हों या नहीं, के अलावा]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं [भुना हुआ चना के अलावा], जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या

(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]” को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखि क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“132क	5401	मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं
132ख	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सेंथेटिक अथवा आर्टिफिशयल फिलामेंट यार्न
132ग	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132घ	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न

(vi) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और अंकों “जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा,” को निरसित किया जायेगा।

(ग) अनुसूची III में - 18%

(i) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) में “पिज्जा ब्रेड” शब्दों के स्थान पर “पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) क्रम संख्या 23 में, कालम (3) में “तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों” शब्दों के स्थान पर “तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“54क	3213	पोस्टर कलर” ;
------	------	---------------

(iv) क्रम सं. 63 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; “दंतमोम” या “दंत छाप औंगिकों” के रूप में जात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्व नाल के आकार में डंडियों या वैसे ही रूप में रखी गई हैं, दंत चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्टापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के) प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 102 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा,

(vi) क्रम संख्या 114 में, कॉलम (3) में शब्दों” रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स” के स्थान पर शब्दों” रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 158 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों “सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों “कृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 164 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“177क	6802	निम्न को छोड़कर सभी वस्तु :- i. मार्बल और ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं ii. मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौं बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान ।
-------	------	---

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उससे प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“303क	8305	लूज लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नर्स , पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के” ;
-------	------	--

(xv) क्रम सं. 308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“308क	84	फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स
308ख	84 या 85	विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से चल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्रीफ्युबल पम्प (हॉर्जिटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प्स, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स”;

(xvi) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“369क	8483	प्लेन शाफ्ट बियरिंग” ;
-------	------	------------------------

(घ) अनुसूची IV - 28%

(i) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में शब्द “पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, “पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 में कॉलम (3) में शब्दों “वेस्ट एंड स्क्रैप समेत” के स्थान पर “वेस्ट एंड स्क्रैप के अलावा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में, कालम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“मार्बल या ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान के अलावा]”;

(v) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में, “और प्लेन साफ्ट वियरिंग” शब्दों को निरसित किया जाएगा।

(ड.) अनुबंध में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“ बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्थाही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। ”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 22 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1192(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।